

**झारखंड उच्च न्यायालय, राँची**

**आपराधिक विविध याचिका सं. 2338 / 2023**

प्रमोद कुमार, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता;- राम प्रसाद सिंह, निवासी लोवाडीह,  
डाकघर नामकुम, थाना नामकुम, जिला राँची, राज्य- झारखंड। ... याचिकाकर्ता

***बनाम***

झारखंड राज्य

... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए

: श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए अधिवक्ता

: श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष पीपी

**उपस्थित**

**माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी**

**अदालत द्वारा:-** दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 34 के तहत दंडनीय अपराधों और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी कार्यवाही शामिल हैं जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राँची के अदालत में लंबित है, जिसके तहत दंडनीय अपराधों से जुड़े डेली मार्केट वाद सं. 34/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

3. डेली मार्केट वाद सं.34 / 2020 की प्राथमिकी 10.12.2020 को दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता जुलाई, 2018 से मार्च 2020 तक ओसीसी पोस्ट ऑफिस में सब-पोस्ट मास्टर के रूप में तैनात था, वह 74 (चौहत्तर) अलग-अलग आरडी खातों में 25,53,400/- रुपये की राशि

का ऋण स्वीकृत करके आपराधिक विश्वासघात करने में श्रीमती सुमन अग्रवाल, एमपीकेबीवाई, उनके प्रतिनिधि श्री शुभम गुप्ता और श्री चितरंजन कुमार- तत्कालीन एसपीएम, ओसीसी के साथ सामान्य इरादे से शामिल था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान संक्षिप्त के पृष्ठ-39-60 पर अनुलग्नक-3 की ओर आकर्षित किया जो कि कोतवाली वाद सं. 99/2020 की प्राथमिकी है और प्रस्तुत करता है कि कोतवाली वाद सं.99/2020 की उक्त प्राथमिकी तथ्यों और आरोपों के समान सेट के संबंध में स्व-समान आरोप के लिए इस प्राथमिकी के पंजीकरण से बहुत पहले दर्ज की गई थी। इसलिए, डेली मार्केट वाद सं.34/2020 की प्राथमिकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से प्रभावित है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील **टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य और अन्य, (2001) 6 एससीसी 181** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं ये अनुच्छेद संख्या 25 और 27 में रिपोर्ट की गई, जिनमें से निम्नानुसार पढ़ें: -

*"25. जहां पुलिस जांच की अपनी वैधानिक शक्ति का उल्लंघन करती है, आपराधिक विविध याचिका की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय और यह न्यायालय उचित मामले में अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए जांच को रोक सकता है। 27. संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच एक न्यायसंगत संतुलन को अदालत द्वारा मारा जाना चाहिए। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आपराधिक विविध याचिका की धारा 173 की उपधारा (8) पुलिस को आगे की जांच करने, और सबूत (मौखिक और दस्तावेजी दोनों) प्राप्त करने और मजिस्ट्रेट को आगे की रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजने का अधिकार देती*

है। नारंग मामले [(1979) 2 एससीसी 322: 1979 एससीसी (सीआरआई) 479] में, हालांकि, यह देखा गया था कि अदालत की अनुमति से आगे की जांच करना उचित होगा। तथापि, जांच की व्यापक शक्ति के कारण यह आवश्यक नहीं है कि किसी नागरिक को एक ही घटना के संबंध में हर बार पुलिस द्वारा नए सिरे से जांच की जाए, जिससे एक या अधिक संज्ञेय अपराध हो जाएं, जिसके परिणामस्वरूप धारा 173(2) के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने से पहले या बाद में एक या अधिक संज्ञेय अपराध हो सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से धारा 154 और 156 आपराधिक विविध याचिका के दायरे से परे होगा, बल्कि यह किसी दिए गए मामले में जांच की वैधानिक शक्ति के दुरुपयोग का मामला है। हमारे विचार में दूसरी या लगातार प्राथमिकी के आधार पर नए सिरे से जांच का मामला, जो कि एक काउंटर-केस नहीं है, उसी या संबंधित संज्ञेय अपराध के संबंध में दायर किया गया है जो कथित तौर पर उसी लेनदेन के दौरान किया गया है और जिसके संबंध में पहली प्राथमिकी के अनुसार या तो जांच चल रही है या धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, आपराधिक विविध याचिका की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त मामला हो। “ (महत्व सन्निविष्ट)

इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि डेली मार्केट वाद सं.34/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी कार्यवाही जो अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

5. राज्य की ओर से पेश विद्वान विशेष पीपी डेली मार्केट वाद सं. 34/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाही को रद्द करने और अलग करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं जो अब विद्वान

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है और प्रस्तुत करता है कि चूंकि मामले की जांच चल रही है, याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट आरोप मामले की जांच पूरी होने के बाद ही जात हो सकते हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस नवजात अवस्था में, डेली मार्केट वाद सं. 34/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने और अलग करने की प्रार्थना और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाही जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है, की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दिया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कोतवाली वाद सं. 99/2020 और डेली मार्केट वाद सं. 34/2020 की प्राथमिकी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कोतवाली वाद सं. 99 /2020 में; सुमन अग्रवाल मुखबिर है जिसे उक्त डेली मार्केट वाद सं. 34/2020 में आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया है। कोतवाली वाद सं. 99/2020 की प्राथमिकी में, सुमन अग्रवाल ने आरडी खाताधारकों से 29,62,400/- रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगाते हुए स्व-समान आरोप लगाया है, लेकिन डेली मार्केट वाद सं. 34/2020 की प्राथमिकी में, याचिकाकर्ता द्वारा केवल 25,53,400/- रुपये की कम राशि स्वीकृत की गई है। कोतवाली वाद सं. 99/2020 में, याचिकाकर्ता को औपचारिक प्राथमिकी में आरोपी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया है, लेकिन जांच के दौरान, उसकी भागीदारी का पता चलता है, तब उसे उस मामले में भी आरोपी के रूप में पेश किया जा सकता है। कोतवाली वाद सं. 99/2020 में, 29,62,400/- रुपये की उपरोक्त राशि के अलावा, 22,11,320/- रुपये की अवैध निकासी का भी आरोप लगाया गया है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तारक दश मुखर्जी और अन्य एवं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य 2022 SCC ऑनलाइन SC 2121** के मामले में माना गया है। अनुच्छेद सं.9, 11 और 12 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें निम्नलिखित से पढ़ें: -

"9. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना है, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि पहली और दूसरी दोनों प्राथमिकी तथ्यों के एक ही सेट और कार्रवाई के समान कारण पर आधारित हैं। उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश, (2004) 13 एससीसी 292 और टीटी एंटनी बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य (2001) 6 एससीसी 181 में विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दूसरी प्राथमिकी दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।

11. हमने दोनों प्राथमिकी का अवलोकन किया है। प्रतिवादी सं. 4 दोनों प्राथमिकी में पहला मुखबिर है और यह 14 जून 2006 को निष्पादित बिक्री के लिए एक ही समझौते पर आधारित है। दोनों प्राथमिकी में लगाए गए आरोप एक ही हैं। आरोप यह है कि जालसाजी और धोखाधड़ी का अभ्यास करके, अपीलकर्ता सं. 1 ने अपीलकर्ता सं. 2 को विषय संपत्ति बेच दी है, जिससे उत्तरदाता सं. 4 को धोखा दिया गया है। दूसरी प्राथमिकी, जो चुनौती का विषय है, पहली प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग चार साल बाद दर्ज की गई थी। पहली प्राथमिकी को चुनौती उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा इन पहलुओं की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।

12. यदि एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही व्यक्ति द्वारा कई प्रथम सूचना रिपोर्ट को तथ्यों और आरोपों के एक ही सेट के संबंध में दर्ज करने की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त एक ही कथित अपराध के लिए कई आपराधिक कार्यवाही में उलझ जाएगा। इसलिए, इस तरह की कई प्राथमिकी दर्ज करना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा, एक ही मुखबिर के कहने पर तथ्यों और आरोपों के एक ही सेट पर इस तरह की क्रमिक प्राथमिकी दर्ज करने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22

की जांच में खड़ा नहीं होगा। इस संबंध में तय कानूनी स्थिति को उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। (महत्व सन्निविष्ट)

यदि एक ही आरोपी के खिलाफ एक ही व्यक्ति द्वारा कई प्रथम सूचना रिपोर्ट को तथ्यों और आरोपों के एक ही सेट के संबंध में दर्ज करने की अनुमति दी जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त एक ही कथित अपराध के लिए कई आपराधिक कार्यवाही में उलझ जाएगा। इसलिए, इस तरह की कई प्राथमिकी दर्ज करना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

7. अब, रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि डेली मार्केट वाद सं. 34/2020 की प्राथमिकी उसी घटना के संबंध में दूसरी प्राथमिकी है, जिसके लिए कोतवाली वाद सं. 99/2020 उक्त डेली मार्केट वाद सं. 34 / 2020 के पंजीकरण से बहुत पहले दर्ज किया गया है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश और अन्य** के मामले में (2004) 13 एससीसी 292 में अनुच्छेद संख्या 17 में निम्नानुसार आयोजित किया है: -

"17. उपरोक्त उद्धरण में ऊपर दिए गए शब्दों से यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय टीटी एंटनी बनाम भारत संघ के मामले में है। केरल राज्य [(2001) 6 एससीसी 181 2001 एससीसी (सीआरआई) 1048] ने प्रतिवाद की प्रकृति की शिकायत दर्ज करने को संहिता के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं किया है। हमारी राय में, उस मामले में इस न्यायालय ने केवल यह माना कि उसी शिकायतकर्ता या अन्य द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ कोई और शिकायत, मामला दर्ज होने के बाद, संहिता के तहत निषिद्ध है क्योंकि इस संबंध में एक जांच पहले ही शुरू हो चुकी होगी और उसी आरोपी के खिलाफ आगे की शिकायत मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों में सुधार के समान होगी। इसलिए संहिता की धारा 162 के तहत निषिद्ध होगा। इस अदालत द्वारा देखा गया यह निषेध, हमारी राय में, पहली शिकायत में आरोपी द्वारा या उसकी ओर से उक्त घटना के एक अलग संस्करण का आरोप

लगाते हुए प्रति-शिकायत पर लागू नहीं होता है। (महत्त्व सन्निविष्ट)

कि स्व-समान घटना के लिए दूसरी प्राथमिकी का पंजीकरण निषिद्ध है और इस न्यायालय का विचार है कि डेली मार्केट वाद सं.34/2020 के प्राथमिकी की निरंतरता और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाही जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है, रांची कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा और न्याय के हित में डेली मार्केट वाद सं.34 /2020 और उक्त प्राथमिकी के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाही जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है, जो स्व-समान घटना के संबंध में दूसरा मामला है, रद्द कर दिया जाए और अलग रख दिया जाए।

8. तदनुसार, डेली मार्केट वाद सं. 34/2020 की प्राथमिकी और उक्त मामले के संबंध में अन्य सभी आगे की कार्यवाही जो अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग रखा जाता है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोतवाली वाद सं. 99/2020 के मामले की जांच के दौरान याचिकाकर्ता को उस मामले का आरोपी बनाने के लिए कोई सामग्री आती है, तो यह निर्णय उसी की प्रक्रिया में बाधा नहीं होगा।

10. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची  
3 जनवरी, 2024 को दिनांकित किया  
ए. एफ. आर./ अनिमेश

यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।